परिवहन विभाग, उत्तरांचल

सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कार्यालय पौड़ी

मैनुअल संख्या–04

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम

सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कार्यालय पौड़ी

मैनुअल संख्या–04

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम

परिवहन विभाग के कार्यालयों में दिन–प्रतिदिन के कार्य मोटरयान अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989, उ0प्र0 मोटरयान नियमावली, 1998, उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम एवं नियमावली–2003 में दिये गये मानक/नियम के अनुसार सम्पादित किये जाते हैं। विभिन्न कार्यों हेतु निर्धारित मानक/नियम का संक्षिप्त विवरण निम्नवत हैं :–

मोटरयानों के ड्राइवरों का अनुज्ञापन

कार्य का नाम	निर्धारित अधिनियम/नियम	कार्यों हेतु मानक
शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति	मोटरयान अधिनियम की धारा–8 सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली का नियम–10	1. फार्म–2 पर आवेदन पत्र। 2. फार्म–1 पर परिवहन यान से भिन्न यान की चालन अनुज्ञप्ति हेतु शारीरिक रूप से स्वस्थ होने की घोषणा। परिवहन यान की चालन अनुज्ञप्ति हेतु फार्म–1–क में सक्षम चिकित्सा अधिकारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र। 3. आवेदक की 4 पासपोर्ट साईज फोटो। 4. आयु प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति। 5. पते का प्रमाण–पत्र (नियम–4 के अंतर्गत)। 6. नियम–32 के अंतर्गत निर्धारित फीस।
चालन अनुज्ञप्ति	धारा–9 सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली का नियम–10	1. फार्म–4 पर आवेदन पत्र। 2. शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति की मूल प्रति। 3. तीन पासपोर्ट साईज फोटो। 4. परिवहन यान की चालन अनुज्ञप्ति के लिए मान्यता प्राप्त मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल द्वारा जारी प्रमाण पत्र। 5. नियम–32 के अन्तर्गत निर्धारित फीस।
चालन अनुज्ञप्ति में परिवर्धन (अन्य	धारा–11 सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली का	1. फार्म–8 पर आवेदन पत्र। 2. जिस वर्ग के यान को जोड़ जाना

वर्ग के मोटरयान का जोड़ा जाना)	नियम—17	है उससे सम्बन्धित एक माह पूर्व जारी शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति की मूल प्रति। 3. चालन अनुज्ञप्ति की मूल प्रति। 4. आवेदक की तीन पासपोर्ट साईज फोटो। 5. नियम—32 के अंतर्गत निर्धारित फीस।
चालन अनुज्ञप्ति का नवीकरण	धारा—15 सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली का नियम—18	1. फार्म—9 पर आवेदन पत्र। 2. फार्म—1—क पर चिकित्सा प्रमाण पत्र। 3. चालन अनुज्ञप्ति की मूल प्रति। 4. नियम—32 के अंतर्गत निर्धारित फीस।
चालन अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति दिया जाना	उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावाली के नियम—8 व 9	1. प्रपत्र—एस0आर0—1 में आवेदन—खो गयी या नष्ट हो गयी चालन अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति के लिये। 2. विरूपित या फटी हुयी अनुज्ञप्ति की मूल प्रति। 3. खो गयी या नष्ट हो गयी अनुज्ञप्ति की दशा में पुलिस में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं आवेदक का प्रति शपथ पत्र। 4. चालन अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने हेतु नियम—32 में विनिर्दिष्ट फीस।
अन्तर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट	केन्द्रीय मोटर यान नियमावली का नियम—14(2)	1. फार्म—4ए में आवेदन। 2. चार पासपोर्ट फोटो। 3. विधिनियम चालन अनुज्ञप्ति की मूल प्रति। 4. फार्म—1—क में चिकित्सा प्रमाण पत्र। 5. आवेदक के पासपोर्ट की सत्यापित छाया प्रति। 6. वीजा की सत्यापित छाया प्रति (जहां लागू हो)। 7. भारत का नागरिक होने का विधिमान्य प्रमाण। 8. विनिर्दिष्ट फीस।

<u>केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–32 में निर्धारित फीस –</u>

क्र0सं0	प्रयोजन	फीस	नियम	धारा
1	2	3	4	5
1.	शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति जारी करने या उसका नवीकरण करने के सम्बन्ध में	तीस रूपये	10	8
2.	फार्म–6 में चालन अनुज्ञप्ति के जारी करने के सम्बन्ध में	चालीस रूपये	14(ख)	9
	फार्म–6–ए में अर्न्तराष्ट्रीय चालन अनुज्ञप्ति के जारी करने के सम्बन्ध में	पांच सौरूपये	14(2)(ख)	–
3.	प्रपत्र–7 में चालन अनुज्ञप्ति के जारी करने के सम्बन्ध में	दो सौ रूपये	14(ख)	9
4.	चालन के लिये सक्षमता परीक्षण के सम्बन्ध में	पचास रूपये	14(ख)	9
5.	प्रपत्र–6 में चालन अनुज्ञप्ति में किसी दूसरे वर्ग के यान का परिवर्द्धन करने के संबंध में	तीस रूपये	17(1)(घ)	11
6.	प्ररूप–6 में चालन अनुज्ञप्ति के नवीकरण के संबंध में	पचास रूपये	18(1)(घ)	15
7.	ऐसे मोटरयान चलाने के लिये जिसके लिये आवेदन अनुग्रह अवधि के पश्चात किया गया है, प्रारूप–6 में चालन में अनुज्ञप्ति के नवीकरण के सम्बन्ध में	एक सौ रूपये और फिर देरी के लिए अनुग्रह अवधि के समाप्त होने की तारीख से एक वर्ष या उसके भाग के लिये पचास रूपये की दर से अतिरिक्त फीस		15
8.	प्रारूप–7 में चालन अनुज्ञप्ति के दूसरे वर्ग के मोटरयान के परिवर्तन और प्रारूप–7 में चालन अनुज्ञप्ति के पंजीकरण के संबंध में	दो सौ रूपये	17(1)(घ) एवं 18(1)(क)	11
9.	चालन में अनुदेश देने के लिये किसी स्कूल या संस्थापन के लिये अनुज्ञप्ति के जारी करने और उसकी नवीकरण के संबंध में	दो हजार पांच सौ रूपये	24(2)	12
10.	चालन में अनुदेश देने वाले स्कूल या संस्थापन के लिये अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने के संबंध में	दो हजार पांच सौ रूपये	26(2)	12
11.	नियम–30 निर्दिष्ट अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेशों के विरूद्ध किसी अपील के संबंध में	एक सौ रूपये	30(1)	17

मंजिली गाड़ी के कण्डक्टरों का अनुज्ञापन

कण्डक्टर अनुज्ञप्ति	धारा–30 सपठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली का नियम–22	1. प्रपत्र–एस0आर0–6 में आवेदन। 2. प्रपत्र–एस0आर0–7 में सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र। 3. आवेदक की चार पासपोर्ट फोटो। 4. पते का प्रमाण पत्र। 5. न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हाई स्कूल या समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र। 6. फीसः चालन अनुज्ञप्ति के किये नियत फीस का आधा।

मोटरयानों का रजिस्ट्रीकरण

कार्य का नाम	निर्धारित अधिनियम/नियम	कार्यों हेतु मानक
व्यवसाय प्रमाणपत्र का दिया जाना	केन्द्रीय मोटरयान का नियम–34	1. फार्म–16 पर आवेदन। 2. वाहन के निर्माता के द्वारा अधिकृत किये जाने का प्रमाण पत्र। 3. पते का प्रमाण पत्र। 4. फर्म के बिक्री कर कार्यालय में पंजीयन होने का प्रमाण पत्र। 5. फर्म के संचालक की एक पासपोर्ट साईज फोटो। 6. फर्म के द्वारा जारी किये जाने वाले फार्म–21 का प्रारूप। 7. फर्म के द्वारा कार्यालय हेतु अधिकृत किये गये प्रतिनिधियों के प्रमाणित हस्ताक्षरों की प्रति। 8. फर्म के सोसाईटी पंजीयन कार्यालय से पंजीयन प्रमाण पत्र (फाईनेंस/बॉडी मेकर व्यापार प्रमाण–पत्र हेतु)। 9. गैराजों हेतु परिवहन आयुक्त कार्यालय के मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र की प्रति। 10. नियम–81 के अंतर्गत निर्धारित फीस।

मोटरयान का अस्थाई रजिस्ट्रीकरण	धारा–43 सपठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली का नियम–41	1. प्रपत्र एस0आर0–17 पर आवेदन पत्र। 2. फार्म–21 में विक्रय प्रमाण पत्र। 3. यान के बीमा प्रमाण पत्र की प्रति। 4. फार्म–22 की प्रति। 5. फार्म–19 की प्रति।
मोटरयान का रजिस्ट्रीकरण	धारा–41 सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली का नियम–47	1. फार्म–20 में आवेदन। 2. फार्म–21 में यान का विक्रय प्रमाण पत्र। 3. फार्म–22/22–ए में यान के निर्माता द्वारा जारी सड़क उपयोगिता प्रमाण पत्र। 4. वैध बीमा प्रमाण पत्र। 5. यान स्वामी के निवास स्थान/पता का प्रमाण पत्र। 6. यान के कर जमा करने हेतु फार्म–ए पर आवेदन पत्र। 7. यान स्वामी की एक सत्यापित पासपोर्ट साईज फोटो। 8. परिवहन यान की दशा में फार्म–38 में यान के ठीक हालत में होने का प्रमाण पत्र। 9. फार्म–19 की एक प्रति। 10. अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र (अन्य राज्य/अन्य जनपद से क्रय वाहन हेतु)। 11. नियम–81 के अंतर्गत निर्धारित फीस।
रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का नवीकरण	केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के नियम–52(1)	1. फार्म–25 पर आवेदन। 2. यान का मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र। 3. यान के वैध बीमा प्रमाण पत्र की प्रति। 4. यान के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की प्रति। 5. नियम–81 के अंतर्गत निर्धारित फीस।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति जारी करना	केन्द्रीय मोटरयान नियमावली का नियम–53	1. फार्म–26 पर आवेदन पत्र। 2. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र खो जाने या नष्ट हो जाने की स्थिति में पुलिस रिपोर्ट की प्रति एवं शपथ पत्र। 3. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र विरूपित हो जाने की स्थिति में मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र यथास्थिति में। 4. यान के विधिमान्य बीमा प्रमाण–पत्र की प्रति। 5. यान के समस्त करों के जमा होने का प्रमाण पत्र। 6. यान के वित्तपोषक (यदि कोई है) का अनापत्ति प्रमाण पत्र। 7. यान के चालान संबंधी आख्या। 8. नियम–81 के अंतर्गत निर्धारित फीस।
अन्य राज्यों से उत्तरांचल राज्य में लाये गये मोटरयान पर उत्तरांचल राज्य के रजिस्ट्रीकरण चिन्ह का समनुदेशन	नियमावली के नियम–54	1. फार्म संख्या–27 पर आवेदन पत्र। 2. अनापत्ति प्रमाण पत्र (मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी)। 3. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र। 4. यान का विधिमान्य प्रमाण पत्र। 5. चालन शाखा की आख्या। 6. वित्तपोषक (यदि कोई है) का अनापत्ति प्रमाण पत्रं 7. विधिमान्य प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र। 8. नियम–81 के अंतर्गत निर्धारित फीस।
यान के स्वामित्व का अन्तरण	धारा–50 सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली का नियम–55	1. फार्म–29 की दो प्रतियां। 2. फार्म–30 पर आवेदन पत्र। 3. वाहन का वैध बीमा प्रमाण पत्र। 4. अन्तरक एवं अन्तरती की एक–एक सत्यापित पासपोर्ट साईज फोटो। 5. अन्तरती के निवास स्थान का प्रमाण पत्र। 6. यान की मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र। 7. यान के समस्त कर जमा होने का

		प्रमाण पत्र। 8. यान के ठीक हालत में होने का प्रमाण–पत्र। 9. यान के अन्तरती द्वारा शपथ पत्र। 10. यान का अनापत्ति प्रमाण पत्र (अन्य राज्य/अन्य सम्भाग से आये यानों के सम्बन्ध में)। 11. यान के चालान न होने की आख्या। 12. यान के परमिट की स्थिति के संबंध में आख्या (परिवहन यानों हेतु)। 13. वाहन के वित्तपोषक (यदि कोई है) का अनापत्ति प्रमाण पत्र। 14. अन्य राज्य/अन्य सम्भाग की यानों के एन0ओ0सी0 के सत्यापन के लिए समस्त प्रपत्रों की छाया प्रति एवं तीन पंजीकृत पोस्ट ऑफिस के लिफाफे। 15. नियम–81 के अंतर्गत निर्धारित फीस।
यान के स्वामी की मृत्यु पर यान के स्वामित्व का हस्तान्तरण	केन्द्रीय मोटरयान नियमावली का नियम–56	1. फार्म–31 में आवेदन। 2. स्वामित्व उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र की प्रति। 3. अन्य आश्रितों का अनापत्ति प्रमाण पत्र शपथ पत्र के रूप में। 4. वाहन का वैध बीमा प्रमाण पत्र। 5. यान का मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र। 6. यान के समस्त कर जमा होने का प्रमाणप पत्र। 7. यान के चालान की आख्या। 8. यान के परमिट सम्बन्धी आख्या (परिवहन यानों के संबंध में)। 9. यान के ठीक हालत में होने के प्रमाण पत्र की प्रति (परिवहन यान के संबंध में)। 10. यान के वित्तपोषक (यदि कोई है) की अनापत्ति प्रमाण पत्र। 11. आवेदक द्वारा शपथ पत्र। 12. नियम–81 के अंतर्गत निर्धारित

		फीस।
सार्वजनिक नीलामी में क्रय किये गये यान के स्वामित्व का अन्तरण	केन्द्रीय मोटरयान नियमावली का नियम–57	1. फार्म–32 पर आवेदन पत्र। 2. नीलामी को कराने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी प्रमाण पत्र जो आवेदक के नाम विक्रय किये जाने की पुष्टि करता हो। 3. यान का मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र। 4. आवेदक की सत्यापित एक पासपोर्ट साईज फोटो। 5. आवेदक का निवास स्थान/पता प्रमाण पत्र। 6. यान का विधिमान्य बीमा प्रमाण पत्र। 7. यान का विधिमान्य प्रदूषण नियंत्रण पत्र। 8. यान के कर जमा करने हेतु फार्म–ए। 9. लावारिस वाहनों के संबंध में फार्म–20 पर आवेदन पत्र। 10. आवेदक द्वारा शपथ पत्र। 11. नियम–81 के अंतर्गत निर्धारित फीस।
अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना	केन्द्रीय मोटरयान नियमावली का नियम–58	1. फार्म–28 पर आवेदन पत्र, तीन प्रतियों में। 2. यान का मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र। 3. यान का विधिमान्य बीमा प्रमाण पत्र। 4. पुलिस कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र। 5. यान के परमिट सर्मपण की आख्या (परिवहन यान हेतु)। 6. यान के समस्त कर जमा होने का प्रमाण पत्र। 7. यान का विधिमान्य ठीक हालत में होने का प्रमाण–पत्र (परिवहन यानों हेतु)।
रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र पर अवक्रय करार	केन्द्रीय मोटरयान नियमावली का	1. फार्म–34 पर आवेदन पत्र, दो प्रतियों में।

(Hire Purchase Agreements) की प्रविष्टि करना	नियम—60	2. यान का मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र। 3. यान के वैध बीमा प्रमाण पत्र की प्रति। 4. वित्तपोषक के व्यवसाय का विधिमान्य प्रमाणपत्र की छाया प्रति। 5. नियम—81 के अंतर्गत निर्धारित फीस।
रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र पर अवक्रय करार की प्रविष्टि को रद्द करना	केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के नियम—61	1. प्रपत्र—35 पर आवेदन पत्र, दो प्रतियों में। 2. यान का मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र। 3. वाहन के वैध बीमा प्रमाण पत्र की प्रति। 4. वित्तपोषक के व्यवसाय का विधिमान्य प्रमाण पत्र की छाया प्रति। 5. नियम—81 के अंतर्गत निर्धारित फीस।
यान का ठीक हालत में होने का प्रमाण पत्र।	केन्द्रीय मोटरयान नियमावली का नियम—62	1. प्रपत्र—एस0आर0—12 में आवेदन एवं यान के निरीक्षण की आख्या। 2. फार्म—38 पर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र (पुराने यानों के लिये)। 3. विक्रय पत्र फार्म—21, फार्म—22 (नई यान हेतु)। 4. यान का मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र, परमिट, अतिरिक्त कर का प्रमाण पत्र। 5. यान की चालान आख्या। 6. यान के कर जमा होने का प्रमाण पत्र। 7. नियम—81 के अंतर्गत निर्धारित फीस।

केन्द्रीय मोटरयान नियमावली–1989 के नियम–81 में निर्धारित फीस :–

क्र0सं0	प्रयोजन	धनराशि	नियम	धारा
1	2	3	4	5
1.	प्रत्येक यान के संबंध में व्यवसाय प्रमाणपत्र का दिया जाना अथवा उसका नवीकरण करना मोटर साइकिल अशक्त यात्री गाड़ी अन्य	– पचास रूपये पचास रूपये दो सौ रूपये	34(1)	
2.	व्यवसाय प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति मोटर साइकिल अशक्त यात्री गाड़ी अन्य	– तीस रूपये तीस रूपये एक सौ रूपये	38(1)	
3.	नियम–46 के अधीन अपील	एक सौ रूपये		
4.	रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का जारी किया जाना और उसका नवीकरण तथा नये रजिस्ट्रीकरण कारण चिन्ह की समनुदेशन अशक्त यात्री गाड़ी मोटर साइकिल हल्का मोटरयान – (i) गैर परिवहन (ii) परिवहन मध्यम मालयान मध्यम यात्री मोटरयान भारी मालयान भारी यात्री मोटरयान आयातित मोटरयान आयातित मोटर साइकिल कोई अन्य यान जो ऊपर वर्णित नहीं है	 बीस रूपये साठ रूपये दो सौ रूपये तीन सौ रूपये चार सौ रूपये चार सौ रूपये छः सौ रूपये छः सौ रूपये आठ सौ रूपये दो सौ रूपये तीन सौ रूपये	46(1) 47(1), 52(2), 54(1), 76(1) और 78(1) 53(2)	
5.	रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति जारी करना	क्रमांक 4. में वर्णित फीस का आधा	53(2)	
6.	स्वामित्व का अंतरण	क्रमांक–4 में वर्णित फीस का आधा	55(2)(iii), 55(3), 56(2)(क) और 57(1)(क)	
7.	निवास स्थान में परिवर्तन	बीस रूपये	59	

8.	रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में परिवर्तन की विशिष्टियों की प्रविष्टि	पचास रूपये		54(4)
9.	अवक्रय/पट्टा/आडमान करार की प्रविष्टि	एक सौ रूपये	60	
10.	अवक्रय/पट्टा/आडमान करार का र्‌द्‌दकरण या नया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करना	एक सौ रूपये	61(1)(2)	
11.	ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र देने या उसके नवीकरण करने के लिये वाहन का परीक्षण करना – (i) दुपहिया/तिपहिया यान (ii) हल्का मोटरयान (iii) मध्यम मोटरयान (iv) भारी मोटरयान	 एक सौ रूपये दो सौ रूपये तीन सौ रूपये चार सौ रूपये	62(2)	
12.	ठीक हालत में होने का प्रमाण पत्र देना या उसका नवीकरण	एक सौ रूपये	62(2)	
13.	प्राधिकार पत्र का दिया जाना और उसका नवीकरण	पांच हजार रूपये	63(2)(क)	
14.	प्राधिकार पत्र की दूसरी प्रति का जारी किया जाना	पांच हजार रूपये	56(2)	
15.	नियम–70 के अधीन अपील	चार सौ रूपये	71(1)	

परिवहन यानों का नियंत्रण

3. वाहन के परमिट जारी करने संबंधी प्रक्रिया :–

कार्य का नाम	निर्धारित अधिनियम/नियम	कार्यों हेतु मानक
मंजिली गाड़ी परमिट	धारा–70, 71, एवं 72 सपठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली का नियम–65, 67 एवं 68	1. प्रपत्र–एस0आर0–20 में आवेदन रू0 100.00 कोर्ट फीस सहित। 2. परमिट पर आच्छादित की जाने वाली वाहन के प्रपत्र जैसे कर/अतिरिक्त कर जमा का प्रमाण–पत्र, ठीक हालत में होने का प्रमाण–पत्र, बीमा प्रमाण–पत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र आदि। 3. वाहन के मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र। 4. परमिट धारक की दो सत्यापित पासपोर्ट साईज फोटो। 5. परमिट धारक का प्रथम श्रेणी

		मजिस्ट्रेट/पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति। 6. उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के नियम–125 के अंतर्गत निर्धारित फीस।
प्राइवेट सेवायान परमिट	धारा–76 सपठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली का नियम–61 एवं 65	1. प्रपत्र एस0आर0–23 पर आवेदन पत्र रू0 100/– कोर्ट फीस सहित। 2. वाहन के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र। 3. संस्था/शिक्षण संस्था के पंजीकृत होने संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति। 4. शिक्षण संस्थाओं के मामले में संस्था के मान्यता प्राप्त होने के संबंध में भी प्रमाण पत्र दिया जाना आवश्यक है। 5. नोटरी प्रमाणित इस आशय का शपथ पत्र कि उसके द्वारा यान का संचालन केवल अपनी संस्था के निजी कार्यों में निःशुल्क किया जायेगा। 6. उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के नियम–125 के अंतर्गत निर्धारित फीस।
ठेका गाड़ी परमिट	धारा–74 सपठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली का नियम–61, 65, 67 एवं 70	1. प्रपत्र एस0आर0–21 पर आवेदन रू0 100/– कोर्ट फीस सहित। 2. वाहन के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र। 3. आवेदक की दो सत्यापित पासपोर्ट साईज फोटो। 4. बुकिंग कार्यालय उपलब्ध होने का प्रमाण पत्र। 5. नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र कि वह अपने वाहन का संचालन मंजिली गाड़ी के रूप में नहीं करेगा और गाड़ी पर ऐसा चालक रखेगा जिसे पांच वर्ष पूर्व परिवहन यान चलाने के लिये चालन अनुज्ञप्ति जारी हुई हो। 6. उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के नियम–125 के अंतर्गत निर्धारित फीस।

विक्रम/ऑटो वाहनों के परमिट	धारा–74 सपठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली का नियम–61, 65 एवं 67	1. प्रपत्र–एस0आर0–21 में आवेदन रू0 100.00 की कोर्ट फीस स्टाम्प सहित। 2. परमिट पर आच्छादित की जाने वाली वाहन के समस्त प्रपत्र। 3. मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र। 4. आवेदक की दो सत्यापित पासपोर्ट साईज फोटो। 5. उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के नियम–125 के अंतर्गत निर्धारित फीस।
माल वाहन परमिट	धारा–77, 78 एवं 79 सपठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली का नियम–65 तथा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली का नियम–86, 87, 88, 89, एवं 90	1. आवेदन गृह राज्य के लिये प्रपत्र–एस0आर0–22 तथा राष्ट्रीय परमिट हेतु आवेदन केन्द्रीय मोटरयान नियमावली में निर्धारित फार्म–48 पर धारा–77 में मांगी गई सूचनाओं व रू0 100/– कोर्ट फीस तथा नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ–पत्र सहित। 2. रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र/अनापत्ति प्रमाण–पत्र। 3. राष्ट्रीय परमिट का अधिकार–पत्र लेने के लिये फार्म संख्या–46 में रू0 100.00 कोर्ट फीस के साथ प्रार्थना–पत्र तथा कम से कम तीन राज्यों के कम्पोजिट टैक्स के बैंक ड्राफ्ट जो स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के होंगे, प्रस्तुत करने होंगे। 4. उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के नियम–125 के अंतर्गत निर्धारित फीस।
अस्थाई परमिट	धारा–87 सपठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली का नियम 65 एवं 74	1. प्रपत्र–एस0आर0–24 में अस्थाई परमिट एवं प्रपत्र–एस0आर0–25 विशेष अस्थायी परमिट हेतु आवेदन रू0 100/– की कोर्ट फीस सहित। 2. मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी से जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र। 3. विशेष अस्थाई परमिट के लिये यात्रा

		का प्रोग्राम / यात्रियों की प्रमाणित सूची / शादी का कार्ड देना अनिवार्य है। 4. उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के नियम–125 के अंतर्गत निर्धारित फीस।
परमिट का नवीकरण	उ0प्र0 मोटरयान नियमावली का नियम–81	1. परमिट के नवीकरण हेतु रू0 100 / – की कोर्ट फीस सहित सादे कागज पर आवेदन। 2. वाहन का परमिट। 3. वाहन के चालान एवं कर संबंधी कागजात। 4. उ0प्र0 मोटरयान नियमावली के नियम–125 के अंतर्गत निर्धारित फीस।
परमिट का अन्तरण	धारा–82 सपठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली का नियम–87	1. प्रपत्र–एस0आर0–33 में अन्तरक एवं अन्तरती द्वारा संयुक्त आवेदन रू0 100 / – की कोर्ट फीस सहित। 2. परमिट धारक की मृत्यु की दशा में उत्तराधिकार का प्रमाण, मृतक प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। 3. संबंधित रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र / अनापत्ति प्रमाण पत्र। 4. मूल परमिट की प्रति। 5. उ0प्र0 मोटरयान नियमावली के नियम–125 के अन्तर्गत निर्धारित फीस।
परमिट द्वारा प्राधिकृत यान का प्रतिस्थापन	धारा–83 सपठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली का नियम–84	1. प्रपत्र–एस0आर0–32 में रू0 100 / – की कोर्ट फीस स्टाम्प सहित। 2. मूल परमिट की प्रति। 3. वाहनों के रजिस्ट्रीकरण संबंधी प्रमाण पत्र। 4. परमिट से एक वाहन को हटाने के लिये उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली–1998 के नियम–125 के अंतर्गत निर्धारित फीस।
खोयी, नष्ट हुयी परमिट के स्थान पर दूसरी प्रति जारी	उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली का नियम–88	1. सादे कागज पर रू0 100 / – कोर्ट फीस स्टाम्प सहित आवेदन। 2. परमिट वास्तव में खो गयी या नष्ट

करना		हो गयी की पुलिस रिपोर्ट एवं शपथ पत्र। 3. परमिट खराब होने की स्थिति में मूल परमिट की प्रति। 4. संबंधित रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी से वाहन की अनापत्ति प्रमाण पत्र। 5. उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के नियम–125 में निर्धारित फीस।
माल वाहनों द्वारा ले जाये जा रहे माल के संग्रह अग्रेषण और वितरण के कारबार में लगे अभिकर्ताओं का अनुज्ञापन	उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली का नियम–113	1. प्रपत्र–एस0आर0–36 में आवेदन। 2. आवेदन पत्र के साथ उ0प्र0 मोटरयान नियमावली–1998 के नियम–113, 114, 117, 119, 121 में दिये गये प्राविधानों के अंतर्गत अनुपालन किये जाने संबंधी समस्त सूचनाएं सलंग्न की जायेंगी। 3. आवेदक द्वारा रू0 10000 की प्रतिभूति। 4. उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के नियम–125 में निर्धारित फीस।

<u>उ0प्र0 मोटरयान नियमावली–1998 के नियम–125 में निर्धारित फीस :–</u>

क्र0सं0	प्रयोजन	धनराशि (रू0 में)
1	2	3
1.	परमिट देने, उसका नवीकरण करने और उसे प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिये –	
	(क) अस्थायी परमिट से भिन्न परमिट की–	
	(1) मंजिली गाड़ी के लिये	4800.00
	(2) माल वाहन के लिये	4800.00
	(3) मोटर टैक्सी, बड़ी टैक्सी से भिन्न ठेका गाड़ी के लिये	6000.00
	(4) प्राइवेट सेवा यान के लिये	3000.00
	(5) बड़ी टैक्सी के लिये–	
	(i) एक सम्भाग के लिये	1500.00
	(ii) सम्पूर्ण प्रदेश के लिये	3000.00
	(6) मोटर टैक्सी के लिये –	
	(i) एक सम्भाग के लिये	750.00
	(ii) सम्पूर्ण प्रदेश के लिये	1500.00
	(iv) प्रदेश सहित तीन संलग्न राज्यों के लिये	1500.00
	(v) सम्पूर्ण भारत के लिये	2500.00

	(ख) अस्थायी परमिट की – (i) प्रथम तीन दिनों के लिये (ii) तीन दिन के पश्चात् सप्ताह के अन्त तक (iii) प्रत्येक अतिरिक्त सप्ताह के लिये	 300.00 300.00 300.00
2.	परमिट के अधीन किसी यान के बदले जाने के लिये आवेदन फीस	180.00
3.	परमिट के अन्तरण के लिये– (i) मंजिली गाड़ी के लिये (ii) मोटर टैक्सी, बड़ी टैक्सी से भिन्न ठेका गाड़ी के लिये (iii) माल वाहन की (iv) बड़ी टैक्सी की (v) मोटर टैक्सी की (vi) परन्तु यह कि परमिट धारक की मृत्यु की दशा में उसके विधिक उत्तराधिकारी को परमिट के अन्तरण के लिये फीस	 6000.00 6000.00 500.00 200.00 200.00 उक्त खण्ड (i) से (v) तक में विनिर्दिष्ट फीस की आधी होगी
4.	परमिट की दूसरी प्रति जारी करने के लिये	100.00
5.	राज्य या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के आदेश के विरूद्ध अपील के लिये (1) आटो रिक्शा परमिट के संबंध में (2) परिवहन यान के संबंध में	 500.00 1000.00
	5क. राज्य परिवहन अपील अधिकरण के समक्ष प्रार्थना से युक्ति किसी प्रकीर्ण आवेदन प्रस्तुत करने के लिये	कोर्ट फीस स्टाम्प के रूप में रू0 10.00
6.	प्रतियां देने के लिये	देय स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त कोर्ट फीस स्टाम्प के रूप में रू0 10.00 प्रति दस्तावेज प्रति नकल।
7.	पत्रावलियों के निरीक्षण के लिये	देय न्यायालय फीस के अतिरिक्त रू0 10.00 प्रति घंटा।
8.	परमिट में मोटर यान के बदले जाने की प्रविष्टि के लिये	50.00
9.	अभिकर्ता अनुज्ञप्ति दिये जाने या उसके नवीकरण के लिये (i) प्रमुख स्थापन की अनुज्ञप्ति दिये जाने के लिये (ii) प्रत्येक अतिरिक्त स्थापन हेतु अनुपूरक अनुज्ञप्ति दिये जाने के लिये (iii) अभिकर्ता अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये यदि	.... 1000.00 750.00

	आवेदन समय के भीतर दिया जाता है– (क) प्रमुख स्थापन के लिये अनुज्ञप्ति के संबंध में (ख) प्रत्येक अतिरिक्त स्थापन के लिये पूरक अनुज्ञप्ति के संबंध में (iv) अभिकर्ता अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये यदि आवेदन समय के भीतर न हो– (क) प्रमुख स्थापन के लिये अनुज्ञप्ति के संबंध में (ख) प्रत्येक अतिरिक्त स्थापन के लिये पूरक अनुज्ञप्ति के संबंध में (v) अभिकर्ता अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने के लिये– (क) प्रमुख स्थापन के लिये अनुज्ञप्ति के संबंध में (ख) प्रत्येक अतिरिक्त स्थापन के लिये अनुपूरक अनुज्ञप्ति के संबंध में	1000.00 750.00 .... 1200.00 800.00 100.00 75.00
10.	अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील के लिये	200.00
11.	किसी दस्तावेज की प्रति के लिये	देय स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त रू0 5.00 प्रति नकल
12.	**(क)** टिकटों की बिक्री के लिए अभिकर्ता अनुज्ञप्ति दिये जाने या उसका नवीकरण किए जाने के लिए आवेदन **(ख)** सार्वजनिक सेवायान द्वारा यात्रा के लिये टिकटों की बिक्री के लिये अभिकर्ता अनुज्ञप्ति दिये जाने या उसका नवीकरण किये जाने आदि के लिये– (एक) अनुज्ञप्ति दिये जाने के लिए (दो) अनुज्ञप्ति का नवीकरण किए जाने के लिए (तीन) अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने के लिए **(ग)** (एक) बैज जारी करने के लिये (दो) बैज की दूसरी प्रति जारी करने के लिए	100.00 200.00 200.00 50.00 100.00 200.00

4. प्रवर्तन शाखा

प्रवर्तन शाखा में वाहनों के चालान निस्तारण हेतु आवेदक के आवेदन किये जाने पर निर्धारित धाराओं में वसूल किये जाने प्रश्मन शुल्क की दरों का विवरण निम्नानुसार हैं :–

1. **परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश की विज्ञप्ति संख्या–2050/30–4–98–172 दिनांक 1–9–1998, जो कि उत्तरांचल में भी लागू है के अनुसार विभिन्न अपराधों के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–200 के अन्तर्गत परिवहन विभाग के**

निम्नलिखित अधिकारियों को उनके समुख अंकित धाराओं के अंतर्गत प्रशमन शुल्क लिये जाने का अधिकार प्रदत्त है :–

क्र0सं0	अपराध का विवरण	अपराधों के प्रशमन हेतु अधिकृत अधिकारी	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा जिसके अंतर्गत अभियोग का प्रशमन किया जायेगा	प्रशमन शुल्क (रू0)
01.	मोटरयान अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम विनियम या अधिसूचना के किसी उपबन्ध का उल्लंघन जब उसके उल्लंघन के लिये कोई शास्ति उपबंधित नहीं है।	यात्रीकर अधीकारी/माल कर अधिकारी व उनसे उच्च परिवहन विभाग के समस्त अधिकारी। यदि ऐसा अधिकारी स्थानान्तरण व सेवानिवृति आदि के कारण उपलब्ध न हो तो उनसे उच्चाधिकारी।	177	50.00 प्रति अभियोग
02.	टिकट या पास के बिना यात्रा करना।	तदैव	178(1)	निर्धारित किराये का दस गुना या रू0 500.00, जो भी कम हो।
03.	मंजिली गाड़ी के कण्डक्टर द्वारा सवारी को टिकट देने संबंधी अपने कर्त्तव्य का निर्वाह न करना।	तदैव	178(2)	250.00
04.	ठेका गाड़ी के परमिट धारक या ड्राइवर द्वारा नियमों के उल्लंघन में गाड़ी चलाना।	तदैव	178(3) 1. दुपहिया या तिपहिया मोटरयान की दशा में 2. अन्य यान की दशा में	 25.00 100.00
05.	सक्षम किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिये किसी	तदैव	179(1)	250.00

	निर्देश की अवज्ञा करना या कर्त्तव्यों के निर्वहन में बाधा पहुंचना (यदि उसके लिये अन्य कोई शास्ति उपबन्धित न हों)।			
06.	गलत जानकारी देना या जानकारी न देना	तदैव	179(2)	250.00
07.	मोटरयान के स्वामी द्वारा अप्राधिकृत व्यक्ति को यान चलाने हेतु देना (जो कि मोटरयान अधिनियम की धारा–03 व 04 के उपबंधों की पूर्ति नहीं करता)।	तदैव	180	500.00
08.	विधिमान चालन अनुज्ञप्ति के बिना या निर्धारित आयु सीमा बिना मोटरयान चलाना (मोटरयान अधिनियम की धारा–03 व 04 का उल्लंघन)।	तदैव	181	250.00
09.	चालन अनुज्ञप्ति धारण करने हेतु अयोग्य होने पर मोटरयान चलाना।	तदैव	182(1)	250.00
10.	कण्डक्टर अनुज्ञप्ति धारण करने हेतु अयोग्य होने पर भी मंजिली गाड़ी के कण्डक्टर का कार्य करना।	तदैव	182(2)	50.00
11.	निर्दिष्ट गति सीमा का उल्लंघन करके मोटरयान चलाना।	तदैव	183(1)	200.00
12.	नियोक्ता द्वारा नियंत्रणाधीन ड्राइवर से निर्दिष्ट गति सीमा का उल्लंघन करके मोटरयान चलवाया जाना।	तदैव	183(2)	150.00
13.	सार्वजनिक स्थान पर खतरनाक तरीके से मोटरयान चलाना।	तदैव	184	500.00
14.	मोटरयान चलाने के लिये मानसिक एवं शारीरिक रूप से अयोग्य होने पर भी मोटरयान चलाना।	तदैव	186	100.00

15.	राज्य सरकार की लिखित सहमति के बिना मोटरयान की किसी दौड़ या गति का मुकाबला में भाग लेना।	तदैव	189	250.00
16.	सड़क सुरक्षा, शोर नियंत्रण और वायु प्रदूषण के संबंध में विहित मानकों का उल्लंघन करके मोटरयान चलवाना।	तदैव	190(2)	1000.00
17.	यान में परिवर्तन करना या ऐसी हालत में विक्रय करना जिससे मोटरयान अधिनियम के अध्याय–7 का या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम का उल्लंघन होता हो।	तदैव	191	250.00
18.	रजिस्ट्रीकरण या परमिट के बिना यान का उपयोग	तदैव	192	2500.00
19.	भारी मालयान या भारी यात्री मोटरयानों की भार संबंधी परमिट की शर्तों एवं किसी क्षेत्र या मार्ग पर ऐसे यानों के उपयोग को प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित किये जाने की शर्त का उल्लंघन कर यान चलाना।	तदैव	194(1) सपठित धारा–113(2)	1000.00
20.	अन्यथा विहित किसी यान के सिवाय, सार्वजनिक स्थान पर ऐसे मोटरयान का प्रयोग जिसमें हवा वाले टायर न लगे हों, को चलाया जाना।	तदैव	194(1) सपठित धारा–113(2) 1. मध्यम व भारी मोटरयान के लिए 2. हल्की मोटरयान के लिए 3. मोटर साईकिल हेतु	 1000.00 800.00 600.00
21.	ऐसे यान या ट्रेलर को सार्वजनिक स्थान पर चलाना जिसका लदान रहित भार एवं लदान	तदैव	194(1) सपठित धारा–113(3)	2000.00 उक्त के अतिरिक्त प्रतिटन या

	सहित भार रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में तदनुसार विनिर्दिष्ट लदान रहित भार एवं लदान सहित भार से अधिक हो।			उसके भाग के अधिक लदान भार के लिए– 1000.00
22.	यान का भार कराने से इन्कार करना	तदैव	194(1) सपठित धारा–114	1000.00
23.	सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा की दृष्टि से किसी सड़क या पुल पर प्रतिषिद्ध यान का प्रयोग करना।	तदैव	194(1) सपठित धारा–115	1000.00
24.	माल लदे यान को यान के चालक द्वारा न रोकना तथा वाहन में लदा माल कम करना।	तदैव	194(2)	1500.00
25.	बीमा न किये गये यान को चलाना	तदैव	196	500.00
26.	यान में अनधिकृत हस्तक्षेप	तदैव	198	50.00

परिवहन विभाग, उत्तरांचल शासन की अधिसूचना संख्या–688/ix/435/2004 दिनांक 20–12–2004 द्वारा उत्तरांचल पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके सम्मुख अंकित धाराओं के विभिन्न अपराधों के लिये मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–200 के अंतर्गत प्रशमन शुल्क लिये जाने के लिये अधिकार प्रदत्त हैं :–

क्र0सं0	अपराध का संक्षिप्त विवरण	अधिकारी	धारा/नियम	प्रशमन शुल्क की दरें (रू0 में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	(क) बिना नम्बर प्लेट के मोटर वाहन चलाना (ख) बिना हैलमेट के वाहन चलाना	नागरिक/यातायात पुलिस में नियुक्त अधिकारी नियुक्ति के जनपद की सीमा के अन्तर्गत जो उप निरीक्षक से निम्न स्तर के न हों	धारा–177 धारा–177 सपठित धारा–129	100.00 100.00
2.	विधि के अनुसार दिये गये निर्देशों का पालन न	तदैव	धारा–179(1)	100.00

	करना			
3.	असत्य सूचना देना अथवा सूचना छिपाना	तदैव	धारा–179(2)	250.00
4.	निर्धारित गति सीमा से अधिक गति से वाहन चलाना	तदैव	धारा–183(2)	300.00
5.	मोटर वाहन खतरनाक प्रकार से चलाना/चलती वाहन में चालक द्वारा मोबाइल का प्रयोग करना	तदैव	धारा–184	500.00
6.	शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम होने की हालत में वाहन चलाना	तदैव	धारा–186	200.00
7.	बिना सीट बैल्ट के मोटर वाहन चलाना	तदैव	केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 138(3)	100.00

परन्तु नागरिक/यातायात पुलिस में नियुक्ति राजपत्रित अधिकारी से भिन्न अधिकारी केवल अपराध होते समय घटना स्थल पर ही उक्त प्रकार के प्रशमन के लिए अधिकृत होंगे।

उपजिला मजिस्ट्रेट को धारा–207 एवं धारा–208 के अधिकार :– उत्तरांचल शासन परिवहन अनुभाग की अधिसूचना संख्या – 177/परि0/2003 दिनांक 25–05–2003 द्वारा जनहित में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–206 एवं धारा–207 की अधीन दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु उत्तरांचल राज्य के समस्त उपजिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता क्षेत्र प्राधिकृत किया गया है।

मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों का उल्लंघन के अपराध हेतु शास्तियों का सूक्ष्म विवरण :–

क्र0सं0	अपराध का विवरण	धारा/नियम	अधिकतम शास्ति कारावास की अवधि/जुर्माना
1.	विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति के बिना गाड़ी चलाना	धारा–3 सपठित धारा–181	3 माह या रू0 500 या दोनों
2.	किसी अवयस्क द्वारा गाड़ी चलाना	धारा–4 सपठित	3 माह या रू0 500

		धारा–181	या दोनों
3.	यान के इन्चार्ज या स्वामी द्वारा (विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति धारण किये बिना) अनधिकृत व्यक्ति से यान चलाने की अनुज्ञा देना	धारा–5 सपठित धारा–180	3 माह या रू0 1000 या दोनों
4.	चालन अनुज्ञप्ति धारक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को उसका उपभोग करने की अनुज्ञा देना	धारा–6(2) सपठित धारा–177	रू0 100 प्रथम अपराध के लिये रू0 300 द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये
5.	चालन अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने के लिये निरर्हित व्यक्ति द्वारा मोटरयान चलाना या चालन अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन करना।	धारा–23 सपठित धारा–182(1)	3 माह या रू0 500 या दोनों
6.	कण्डक्टर अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने के लिये निरर्हित व्यक्ति द्वारा मंजिली गाड़ी में कण्डक्टर के रूप में कार्य करना या कण्डक्टर अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन करना	धारा–36 सपठित धारा–182(2)	1 माह या रू0 100 या दोनों
7.	विधिमान्य अनुज्ञप्ति के बिना मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल चलाना	धारा–12 सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली का नियम–24 एवं धारा–177	रू0 100 प्रथम अपराध के लिये रू0 300 द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये
8.	निर्दिष्ट गति सीमा के उल्लंघन में मोटरयान चलाना	धारा–112 सपठित धारा–183(1)	रू0 400 प्रथम अपराध के लिये रू0 1000 द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये
9.	किसी व्यक्ति द्वारा अपने कर्मचारी (ड्राइवर) या नियंत्रणाधीन व्यक्ति से निर्दिष्ट गति सीमा के उल्लंघन में यान चलवाना	धारा–112 सपठित धारा–183(2)	रू0 300 प्रथम अपराध के लिये रू0 500 द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये
10.	यान में विनिर्दिष्ट भार से अधिक भार ले जाना या ले जाने देना	धारा–113(3), 114, 115 सपठित धारा–194(1)	न्यूनतम रू0 2000 और इसके अतिरिक्त रू0 1000 प्रति टन या उसके भाग के

			लिये साथ ही अधिक भार को उतारने के चार्जिज
11.	यान को रोकने/यान को तुलवाने के वास्ते किसी तौलयंत्र पर ले जाने से मना करने या तुलवाने से पहले लदान भार हटाना	धारा–114सपठित धारा–194(2)	रू0 3000
12.	विहित प्रकार की यांत्रिक या विद्युत संकेतन के बिना बायीं ओर के स्टीयरिंग नियंत्रण वाले मोटरयान को चलाना	धारा–120 सपठित धारा–177	रू0 100 प्रथम अपराध के लिये रू0 300 द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये
13.	खतरनाक तरीके से मोटरयान चलाना या चलाने के लिये उकसाना	धारा–184 व धारा–188	6 माह या रू0 1000 या दोनों प्रथम अपराध के लिये 2 वर्ष या रू0 2000 या दोनों यदि अपराध पिछले अपराध की 3 वर्ष की अवधि के भीतर किया गया हो।
14.	शराब या मादक द्रव्यों के असर में होते हुये मोटरयान चलाना या चलाने के लिये उकसाना	धारा–185 व धारा–188	6 माह या रू0 2000 या दोनों प्रथम अपराध के लिये 2 वर्ष या रू0 3000 या दोनों यदि अपराध पिछले अपराध की 3 वर्ष की अवधि के भीतर किया गया हो।
15.	मोटरयान चलाने के लिये मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य होते हुये यान चलाना या ऐसे व्यक्ति को यान चलाने के लिये उकसाना	धारा–186 व धारा–188	रू0 200 प्रथम अपराध के लिये रू0 500 द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये
16.	बीमा ने किये गये यान को चलाना	धारा–146 सपठित धारा–196	3 माह या रू0 1000 या दोनों
17.	मोटरयान के ड्राइवर द्वारा यातायात चिन्हों का अनुसरण करने में विफल रहना	धारा–119 सपठित धारा–177	रू0 100 प्रथम अपराध के लिये रू0 300 द्वितीय या

			अनुवर्ती अपराध के लिये
18.	मोटरयान के ड्राइवर द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा विहित संकेतों का विहित अवसरों पर करने में विफल रहना	धारा–121 सपठित धारा–177	रू0 100 प्रथम अपराध के लिये रू0 300 द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये
19.	किसी सड़क या पुल पर चलाये जाने के लिये प्रतिषिद्ध किसी यान को ऐसे प्रतिषेध का उल्लंघन करके चलाना	धारा–115 सपठित धारा–194	रू0 2000
20.	मोटरयान के ड्राइवर द्वारा किसी व्यक्ति को खड़ा रहने या बैठने या सामान रखने की अनुज्ञा देना जिससे याने के नियंत्रण मे उसे रूकावट हो	धारा–125 सपठित धारा–177	रू0 100 प्रथम अपराध के लिये रू0 300 द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये
21.	किसी वर्ग या वर्णन की मोटर साइकिल पर ड्राइवर सहित दो से अधिक व्यक्तिों को ले जाना	धारा–128 सपठित धारा–177	रू0 100 प्रथम अपराध के लिये रू0 300 द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये
22.	किसी वर्ग या वर्णन की मोटर साइकिल पर ड्राइवर द्वारा सुरक्षात्मक टोप (हेलमेट) धारण किये बिना उसे चलाना	धारा–129 सपठित धारा–177	रू0 100 प्रथम अपराध के लिये रू0 300 द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये
23.	किसी मोटरयान को सार्वजनिक स्थान पर खतरनाक स्थिति में छोड़ना	धारा–122 सपठित धारा–177	रू0 100 प्रथम अपराध के लिये रू0 300 द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये
24.	मोटरयान के रनिंग बोर्ड पर सवारी ले जाना या सवारी द्वारा मोटरयान के रनिंग बोर्ड या छत या बोनट पर यात्रा करना	धारा–123 सपठित धारा–177	रू0 100 प्रथम अपराध के लिये रू0 300 द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये
25.	मोटरयान के चालक या प्रभारी द्वारा यान को किसी सार्वजनिक स्थान पर अपेक्षित पूर्व सावधनियों के बिना खड़ा करना	धारा–126 सपठित धारा–177	रू0 100 प्रथम अपराध के लिये रू0 300 द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये

26.	बिना टिकट यात्री वाहन में यात्रा करना	धारा–124 सपठित धारा–178	रू0 500
27.	रक्षक रहित रेल समतल क्रासिंग पर ड्राइवर द्वारा कतिपय पूर्व सावधानियां न बरतना	धारा–131 सपठित धारा–177	रू0 100 प्रथम अपराध के लिये रू0 300 द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये
28.	वर्दी पहने किसी पुलिय अधिकारी की अपेक्षा पर या किसी ऐसे पशु के प्रभारी(Incharge) द्वारा जब पशु के यान के डर से अनियंत्रित होने का डर हो, या यान के किसी व्यक्ति, पशु या अन्य यान के दुर्घटना ग्रस्त होने पर ड्राइवर द्वारा मोटरयान को न रोकना	धारा–132 सपठित धारा–177	रू0 100 प्रथम अपराध के लिये रू0 300 द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये
29.	(1) किसी दो पहिया या तीन पहिया ठेका गाड़ी द्वारा सवारी ले जाने से मना करना (2) अन्य ठेका गाड़ी द्वारा सवारी ले जाने से मना करना	धारा–178(3)(क) धारा–178(3)(ख)	रू0 50 रू0 200
30.	मोटरयान पर विहित तरीके से रजिस्ट्रीकरण चिन्ह प्रदर्शित न करना	धारा–41 सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली का नियम–50 एवं सपठित धारा–177	रू0 100 प्रथम अपराध के लिये रू0 300 द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये
31.	किसी निर्योग्य यान को किसी सार्वजनिक स्थान पर ऐसी रीति से खड़ा करना कि जिससे यातायात के मुक्त प्रवाह में अवरोध हो	धारा–201	रू0 50 प्रति घण्टा
32.	मोटरयान में ऐसे परिवर्तन करना जो उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में दी गयी विशिष्टियों से भिन्न हों	धारा–53 सपठित धारा–177	रू0 100 प्रथम अपराध के लिये रू0 300 द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये
33.	किसी सार्वजनिक स्थान पर वर्दी पहने किसी पुलिस अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर ड्राइवर द्वारा अपनी अनुज्ञप्ति जांच के लिये पेश करने में विफल रहना	धारा–130(1) सपठित धारा–177	रू0 100 प्रथम अपराध के लिये रू0 300 द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये
34.	किसी सार्वजनिक स्थान पर वर्दी	धारा–130(2) सपठित	रू0 100 प्रथम

	पहने किसी पुलिस अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर मंजिली गाड़ी के कण्डक्टर द्वारा अपनी अनुज्ञप्ति पेश करने में विफल रहना	धारा–177	अपराध के लिये रू0 300 द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये
35.	मोटरयान के स्वामी, या उसकी अनुपस्थिति में यान का ड्राइवर या इन्चार्ज द्वारा रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या परिवहन विभाग के प्राधिकृत व्यक्ति की मांग पर यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, बीमा प्रमाण पत्र और परिवहन यान की दशा में उसका ठीक हालत में होने का प्रमाण पत्र मांगने पर प्रस्तुत करने में विफल रहना	धारा–130(3) सपठित धारा–177	रू0 100 प्रथम अपराध के लिये रू0 300 द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये
36.	ऐसे मोटरयान के स्वामी, जिसके ड्राइवर या कण्डक्टर मोटरयान अधिनियम के अधीन किसी अपराध के अभियुक्त है किसी प्राधिकृत पुलिस अधिकारी के मांगे जाने पर ऐसे ड्राइवर या कण्डक्टर का नाम, पता और उसके द्वारा धारित अनुज्ञप्ति की जानकारी देने में विफल रहना	धारा–133 सपठित धारा–187	3 माह या रू0 500 या दोनों प्रथम अपराध के लिये 6 माह या रू0 1000 या दोनों द्वितीय एवं अनुवर्ती अपराध के लिये
37.	यान की दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति को क्षति होने या सम्पत्ति का नुकसान होने पर यान के ड्राइवर द्वारा– (क) आहत व्यक्ति के लिये चिकित्सीय सहायता प्राप्त कराने के समुचित कदम न उठाना (ख) दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस थाने में या पुलिस अधिकारी को न देना (ग) यान के बीमाकर्ता को सूचना न देना	धारा–134 सपठित धारा–187	3 माह या रू0 500 या दोनों प्रथम अपराध के लिये 6 माह या रू0 1000 या दोनों द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये
38.	रजिस्ट्रीकरण के बिना यान का प्रयोग/बिना फिटनेस कराये यान का प्रयोग	धारा–39 सपठित धारा–192	रू0 5000 प्रथम अपराध के लिये जो रू0 2000 से कम नहीं होगा 1 वर्ष या रू0 10000 जो रू0 5000 से कम नहीं होगा या

			दोनों, द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये
39.	परमिट के बिना यान का प्रयोग	धारा–66(1) सपठित धारा–192–क	रू0 5000 प्रथम अपराध के लिये जो रू0 2000 से कम नहीं होगा 1 वर्ष या रू0 10000 जो रू0 5000 से कम नहीं होगा या दोनों, द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये
40.	मोटरयान में केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रकार की सामग्री का प्रयोग न करना	धारा–109(3) सपठित धारा–182–क	रू0 1000 प्रथम अपराध के लिये रू0 5000 द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये
41.	असुरक्षित दशा वाले मोटरयान को चलाना या चलवाना	धारा–190(1)	3 माह या रू0 1000 या दोनों
42.	सड़क सुरक्षा, शोर नियंत्रण और वायु प्रदूषण के संबंध में विहित मानकों के उल्लंघन में यान चलाना	धारा–190(2)	रू0 1000 प्रथम अपराध के लिये रू0 2000 द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये
43.	मानव जीवन के लिये खतरनाक या परिसंकटमय प्रकृति के माल के वहन से संबन्धित मोटर यान को इसके लिये बनाये गये नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके चलाया जाना	धारा–190(3)	1 वर्ष या रू0 3000 या दोनों प्रथम अपराध के लिये 3 वर्ष या रू0 5000 या दोनों द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये
44.	मोटरयान अधिनियम के उपबन्धों के विपरीत यान का विक्रय या परिवर्तन	धारा–191	रू0 500
45.	किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर सक्षम प्राधिकारी के आदेशों की अवज्ञा करना, बाधा डालना	धारा–179(1)	रू0 500
46.	किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर सक्षम प्राधिकारी को जानकारी न देना	धारा–179(2)	1 माह या रू0 500 या दोनों
47.	राज्य सरकार की लिखित अनुमति के	धारा–189	1 माह या रू0 500

	बिना दौड़ या गति मुकाबला करना या उसमें भाग लेना		या दोनों
48.	बिना समुचित प्राधिकार के अभिकर्ता या प्रचारक के रूप में कार्य करना	धारा—93 सपठित धारा—193	रू0 1000 प्रथम अपराध के लिये 6 माह या रू0 2000 या दोनों द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये
49.	प्राधिकार के बिना यान ले जाना	धारा—197	3 माह या रू0 500 या दोनों
50.	यान में अनधिकृत हस्तक्षेप	धारा—198	रू0 100

उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 के अधीन कर/अतिरिक्त की दरें:—

(1) <u>कर की दरें :—</u>

(क) परिवहन यान से भिन्न यानों के लिये ''एकबारीय देय कर'' की दरें :

क्र0सं0	यान का प्रकार	एक बार देय कर (रू0 में)
1.	मोपेड	800.00
2.	स्कूटर/मोटर साइकिल	1500.00
3.	कार/जीप	वाहन के मूल्य का 2.5 प्रतिशत परन्तु न्यूनतम 5000.00
4.	कार/जीप द्वारा खींचे जाने वाले ट्रेलर	605.00
5.	छः से अधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिये बनाये गये या उपयोग में लाये जाने वाले वाहन जिनका लदान रहित भार 500 कि0ग्रा0 से अधिक, किन्तु 5000 कि0ग्रा0 से अधिक न हो	वाहन के मूल्य का 2.5 प्रतिशत
6.	5000 कि0ग्रा0 से अधिक लदान रहित भार के वाहन के लिए	वाहन के मूल्य का 2.5 प्रतिशत और 5000 कि0ग्रा0 भार से अधिक प्रत्येक 1000 कि0ग्रा0 या उसके भाग के 5324.00
7.	उक्त क्रमांक 5 एवं क्रमांक 6 के अन्तर्गत आने वाले वाहनों द्वारा खींचे जाने वाले ट्रेलर	1210.00
8.	परन्तु (क) एकल व्यक्ति, (ख) नगर पालिका परिषद, नगर निगम, जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत, (ग) विधि द्वारा स्थापित कोई विश्वविद्यालय, (घ) कोई मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था, (ङ) कोई सार्वजनिक पूर्ति न्यास, और (च) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट लोक प्रयोजनों के लिये मोटरयानों का उपयोग करने वाले व्यक्ति के सिवाय अन्य के लिये उक्त कर की दर दोगुनी होगी।	

(ख) परिवहन यानों के लिए कर की दरें —

क्र0सं0	यान का प्रकार	कर की त्रैमासिक दर (रू0 में)
1.	आटो रिक्शा जिसमें ड्राइवर को छोड़कर बैठने की क्षमता तीन व्यक्तियों से अधिक न हो।	95.00
2.	तीन पहियों वाले यान जिनमें ड्राइवर को छोड़कर चार या चार से अधिक किन्तु छः व्यक्तियों से अधिक न हो।	185.00
3.	चार पहियों वाले यान जिनमें ड्राइवर को छोड़कर चार से अधिक किन्तु छः व्यक्तियों से अधिक न हो।	230.00
4.	मोटरयान जिनमें ड्राइवर को छोड़कर बैठने की क्षमता छः व्यक्तियों से अधिक किन्तु बारह व्यक्तियों से अधिक न हो 'क' श्रेणी मार्गों के लिए 'ख' श्रेणी मार्गों के लिए	 350.00 201.00
5.	मोटरयान जिनमें ड्राइवर को छोड़कर बैठने की क्षमता बारह व्यक्तियों से अधिक किन्तु बीस व्यक्तियों से अधिक न हो 'क' श्रेणी मार्गों पर प्रथम बारह सीटों के लिए प्रत्येक अतिरिक्त सीट के लिए 'ख' श्रेणी मार्गों पर प्रथम बारह सीटों के लिए प्रत्येक अतिरिक्त सीट के लिए	 350.00 30.00 201.00 8.00
6.	मोटरयान जिनमें ड्राइवर को छोड़कर बैठने की क्षमता बीस व्यक्तियों से अधिक किन्तु पैंतीस व्यक्तियों से अधिक न हो 'क' श्रेणी मार्गों पर प्रथम बीस सीटों के लिए प्रत्येक अतिरिक्त सीट के लिए 'ख' श्रेणी मार्गों पर प्रथम बीस सीटों के लिए प्रत्येक अतिरिक्त सीट के लिए	 590.00 35.00 265.00 11.50
7.	मोटरयान जिनमें ड्राइवर को छोड़कर बैठने की क्षमता पैंतीस व्यक्तियों से अधिक हो 'क' श्रेणी मार्गों पर प्रथम पैंतीस सीटों के लिए प्रत्येक अतिरिक्त सीट के लिए 'ख' श्रेणी मार्गों पर प्रथम पैंतीस सीटों के लिए प्रत्येक अतिरिक्त सीट के लिए	 1115.00 45.00 438.00 17.00
	स्पष्टीकरण– खड़े रहने की स्वीकृत क्षमता का पचास प्रतिशत अतिरिक्त बैठने की क्षमता के रूप में गिना जायेगा।	
8.	माल के परिवहन के लिये चलाये जाने वाले यान के सकल यान भार के प्रति मीट्रिक टन या उसके भाग के लिए एक सम्भाग के लिए एक से अधिक सम्भाग के लिए	 70.00 85.00
9.	ट्रेक्टर जिसका उपयोग कृषि कार्य से भिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता है। उसके द्वारा खींचे जाने वाले ट्रेलर या ट्रेलरों के सम्बन्ध में भुगतान किये गये कर के अतिरिक्त कर	45.00

स्पष्टीकरण :–

(i) जहां पर किसी मोटरयान का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिये या ऐसी रीति से किया जाता है जिससे कि वह एक से अधिक प्रस्तरों के अधीन कर योग्य हो जाय, वहां देय कर सबसे ऊंची समुचित दर पर होगी।

(ii) जहां कोई मोटरयान शयनयान से सज्जित हो, वहां प्रत्येक शयनयान को दो यात्री सीट के बराबर समझा जायेगा।

(iii) किसी मोटरयान से संलग्न या उसके द्वारा खींचा जाने वाला प्रत्येक ट्रेलर जो उक्त क्र0सं0 8 और 9 के अधीन कर–योग्य हो, पृथक मोटरयान समझा जायेगा जिस पर यथा विनिर्दिष्ट समुचित कर लगेगा।

(2) अतिरिक्त कर की दरें :–

(क) माल वाहन पर अतिरिक्त कर की दरें –

क्र0सं0	संचालन क्षेत्र	प्रति तिमाही अतिरिक्त कर की दर (रू0 में)
1.	पर्वतीय मार्गों पर	यान के प्रति मीट्रिक टन सकल यान भार या उसके भाग के लिए – 210.00
2.	उत्तरांचल राज्य के मैदानी मार्गों पर	यान के प्रति मीट्रिक टन सकल यान भार या उसके भाग के लिए – 85.00
3.	कृषि उपज, खनिज, पदार्थ और पेट्रोलियम माल को अनन्य रूप से ढोने वाले माल वाहन	यथा स्थिति उपर्युक्त अतिरिक्त कर की दर की आधी दर

(ख) मंजिली गाड़ी पर अतिरिक्त कर की दरें –

क्र0सं0	प्रति तिमाही में तय की गयी दूरी	संचालन क्षेत्र	प्रति तिमाही अतिरिक्त कर की दरें (रू0 में)
1.	4500 कि0मी0 तक	(i) पर्वतीय मार्गों पर (ii) मैदानी मार्गों पर	146.00 प्रति सीट 154.00 प्रति सीट
2.	4500 कि0मी0 से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त कि0मी0 पर		0.04 प्रति सीट प्रति कि0मी0
3.	मंजिली गाड़ी जो नगर पालिका या नगर निगम की सीमा के भीतर चलती है।	35 सीटों की क्षमता के लिए 35 सीटों से अधिक क्षमता के लिए	4620.00 6600.00
4. जो यात्री वाहन राज्य सीमा के भीतर औद्योगिक संस्थान/शिक्षण संस्थान के अन्तर्गत, अनुबन्ध के आधार पर संचालित होंगी उनके द्वारा 35 सीट तक 4620/–रूपये प्रति त्रैमास तथा उससे अधिक सीट की वाहन पर 6600/– रूपये प्रति त्रैमास अतिरिक्त कर देय होगा। (सीटों की संख्या चालक सहित) यह वाहन संस्थान के स्टाफ व शिक्षा हेतु स्कूली बच्चों को लाने ले जाने हेतु यथा परमिट सीमा के भीतर प्रयुक्त हो सकेंगी।			

परन्तु एक्सप्रेस, सेमी डीलक्स और वातानुकूलित मंजिली गाड़ी पर अतिरिक्त कर की दरें निम्नलिखित होंगी :–

(i) एक्सप्रेस — उक्त भाग(2) के अनुच्छेद (ख) के क्र0 सं0 1 और 2 के अधीन देय करों से पांच प्रतिशत अधिक।

(ii) सेमी डीलक्स — उक्त भाग(2) के अनुच्छेद (ख) के क्र0 सं0 1 और 2 के अधीन देय करों से आठ प्रतिशत अधिक।

(iii) डीलक्स — उक्त भाग(2) के अनुच्छेद (ख) के क्र0 सं0 1 और 2 के अधीन देय करों से बीस प्रतिशत अधिक।

(iv) वातानुकूलित — उक्त भाग(2) के अनुच्छेद (ख) के क्र0 सं0 1 और 2 के अधीन देय करों से पचास प्रतिशत अधिक।

(ग) ठेका गाड़ी पर अतिरिक्त कर की दरें –

क्र0सं0	वाहन का प्रकार	प्रति सीट प्रतिमाह अतिरिक्त कर की दर (रू0 में)
1.	ड्राइवर को छोड़कर तीन व्यक्तियों से अनधिक बैठने की क्षमता वाली मोटर टैक्सी एवं ड्राइवर को छोड़कर तीन व्यक्तियों से अधिक किन्तु छः व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाले तिपहिया वाहन	30.00
2.	मोटर टैक्सी	85.00
3.	मैक्सी कैब	125.00
4.	ड्राइवर एवं कण्डक्टर को छोड़कर बारह व्यक्तियों से अधिक बैठने की क्षमता वाले वाहन	160.00
5.	सेमी डीलक्स बस के लिए	200.00
6.	डीलक्स बस के लिए	225.00
7.	वातानुकुलित बस के लिए	255.00

(घ) सम्पूर्ण भारत के लिए परमिट – ऐसी ठेका गाड़ियों जिनके परमिट मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा–88 की उपधारा (9) के अधीन उत्तरांचल से भिन्न किसी अन्य राज्य द्वारा जारी किये गये है, पर अतिरिक्त कर की दरें –

क्र0सं0	वाहन का प्रकार	प्रति तिमाही अतिरिक्त कर की दरें (रू0 में)	देय का स्थान
1.	मोटर कैब	900.00	चैक पोस्ट/कार्यालय
2.	मैक्सी कैब	5100.00	चैक पोस्ट/कार्यालय
3.	ओमनी बस	15000.00	चैक पोस्ट/कार्यालय

(ङ) उत्तरांचल से भिन्न प्राधिकारी द्वारा जारी ठेका गाड़ियों के अस्थायी परमिटों के वाहनों के लिये अतिरिक्त कर की दरें –

क्र0सं0	वाहन का प्रकार	चालक की सीट को छोड़कर प्रति सीट प्रतिदिन अतिरिक्त कर (रू0 में)	देय का स्थान
1.	साधारण/सेमी डीलक्स	30.00	चैक पोस्ट
2.	डीलक्स बस	40.00	चैक पोस्ट
3.	वातानुकुलित वाहन	45.00	चैक पोस्ट

(च) उत्तरांचल से भिन्न प्राधिकारी द्वारा जारी माल वाहनों के अस्थायी परमिटों के वाहनों पर अतिरिक्त कर की दरें –

क्र0सं0	वाहन का प्रकार	प्रतिदिन अतिरिक्त कर की दरें (रू0 में)	देय का स्थान
1.	हल्का माल वाहन	50.00	चैक पोस्ट
2.	मध्य माल वाहन	75.00	चैक पोस्ट
3.	भारी माल वाहन	100.00	चैक पोस्ट

(छ) उत्तरांचल से भिन्न किसी राज्य द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–88 की उपधारा (12) के अधीन प्रदान किये गये राष्ट्रीय परमिट पर संचालित माल वाहन पर अतिरिक्त कर –

प्रतिवर्ष रू0 5000.00, परिवहन आयुक्त के नाम बैंक ड्राफ्ट द्वारा

कार्यालय में प्रयोग होने वाले समूल्य बिक्री फार्म :

क्र0सं0	फार्म का क्रमांक	फार्म के प्रयोग होने का विवरण	केन्द्रीय मोटरयान नियमावली का नियम
1.	फार्म–1	शारीरिक योग्यता के संबंध में घोषणा पत्र	5(2)
2.	फार्म–1–क	चिकित्सा प्रमाण पत्र	5(1),(3), 7, 10(क), 14(घ), 18(च)
3.	फार्म–2	शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति देने या नवीकरण के लिये आवेदन पत्र	10
4.	फार्म–4	चालक अनुज्ञप्ति का आवेदन पत्र	14(1)
5.	फार्म–8	चालन अनुज्ञप्ति में यान के नये वर्ग जोड़ने के लिये आवेदन पत्र	17(1)
6.	फार्म–9	चालन अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये आवेदन पत्र	18(1)
7.	फार्म–16	व्यवसाय प्रमाण पत्र देने या नवीकरण के लिये आवेदन पत्र	24(1)
8.	फार्म–20	मोटरयान के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन पत्र	47
9.	फार्म–25	परिवहन यान से भिन्न मोटरयान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का नवीकरण हेतु आवेदन पत्र	52(1)

10.	फार्म–26	रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति जारी करने हेतु आवेदन पत्र	53
11.	फार्म–27	अन्य राज्यों की वाहनों को स्थानीय पंजीयन नम्बर आवंटन हेतु आवेदन पत्र	54
12.	फार्म–28	अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र	54, 58(1),
13.	फार्म–29	मोटरयान के स्वामित्व अन्तरण हेतु आवेदन पत्र	55(1)
14.	फार्म–30	मोटरयान के स्वामित्व अन्तरण की सूचना	52(2), (3)
15.	फार्म–31	यान स्वामी की मृत्यु के उपरान्त उसके वारिस द्वारा यान के हस्तान्तरण हेतु आवेदन पत्र	56(2)
16.	फार्म–32	नीलाम हुई यानों के हस्तान्तरण हेतु आवेदन पत्र	57
17.	फार्म–33	यान स्वामी के पता परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र	59
18.	फार्म–34	रजिस्ट्रीकरण के पश्चात किये गये किराया क्रय, पट्टा, बंधक करार की प्रविष्टि किये जाने हेतु आवेदन पत्र	60
19.	फार्म–35	किराया क्रय, पट्टा, बंधक करार की समाप्ति की सूचना	61(1)
20.	फार्म–36	वित्तपोषक के नाम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिये आवेदन पत्र	61(2)
21.	फार्म–45	पर्यटक यान परमिट हेतु आवेदन पत्र	82(1)
22.	फार्म–46	राष्ट्रीय पर्यटक वाहनों के ऑथाराईजेशन प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र	83(1), 87(1)
23.	फार्म–48	नैशनल परमिट हेतु आवेदन पत्र	86
24.	प्रपत्र–क	नई वाहनों के कर जमा हेतु आवेदन पत्र	उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार नियमावली, 2003 का नियम–7

****